न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी, मनसुख राम डामोर, आर0ए0एस0)

प्रकरण सख्या– 82 / 2018 वाद
दायर दिनांक– 10 / 07 / 2018
निर्णय दिनांक– 09 / 03 / 2021

वादीगण

1. नानालाल पिता मोहनलाल भील निवासी कानाखेडा तह0 रेलमगरा जिला राजसमंद
2. शंकरलाल पिता मोहनलाल भील निवासी कानाखेडा तह0 रेलमगरा जिला राजसमंद
3. हिरालाल पिता मोहनलाल भील निवासी कानाखेडा तह0 रेलमगरा जिला राजसमंद
4. लेहरी पत्नि स्व. मोहनलाल भील निवासी कानाखेडा तह0 रेलमगरा जिला राजसमंद

वादीगण

बनाम

1. रामा पिता भैरा जाति जाति भील निवासी कानाखेडा तह0 रेलमगरा जिला राजसमंद।
2. तहसीलदार महोदय रेलमगरा जिला राजसमंद।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा

निर्णय

वादी की ओर से जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. ए. के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम कानाखेडा पटवारी हल्का क्षैत्र कुरज तहसील रेलमगरा की सीमा में वर्तमान खाता सख्या 173 सम्वत् 2069 से 2072 की जमाबंदी के कृषि आराजी सख्या 5119 रकबा 0–03 बिस्वा , 5120 रकबा 0–03 बिस्वा , एवं 5121 रकबा 9 बिघा 18 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी व नक्शाट्रेस साथ पेश है। उक्त आराजीयात् में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 01 के अलावा सहखातेदार के रूप में प्रताप , भज्जा, माणा पिता भोला एवं नारायण पिता टेका भील का नाम भी दर्ज होकर अकिंत चला आ रही है। जबकि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के अलावा उक्त सहखातेदारान् की मृत्यु काफि वर्षो पूर्व हो चुकी है तथा वर्तमान में उक्त अन्य सहखातेदारान् के विधिक वारिसान के रूप में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के अलावा अन्य कोई विधिक उत्तरधिकारी मोजुद नहीं है। प्रतिवादी संख्या 01 उपरोक्त अन्य सहखातेदारन् प्रताप,

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

भज्जा, माणा पिता भोला एवं नारायण पिता टेका के हिस्से की समस्त भूमियां अकेला ही अपने नाम दर्ज कराने पर उतारू हो रहा है । जबकि उपरोक्त सभी मृतक सहखातेदारान् के हिस्से से प्राप्त करने के अधिकारी है। जिससे प्रतिवादी संख्या 01 को अकेले को मृतक प्रताप, भज्जा, माणा पिता भोला एवं नारायण पिता टेका भील के हिस्से की भूमियां अपने नाम पर दर्ज कराने का कोई अधिकार नहीं है। जिससे वादीगण की ओर से उक्त वादपत्र बाबत् घोषणा प्रस्तुत किया जाना नितान्त आवश्यक है। मृतक सहखातेदारान् प्रताप , भज्जा , माणा पिता भोला एवं नारायण पिता टेका भील निर्वसीयती होकर इनकी मृत्यु काफी समय पूर्व हो चुकी है वर्तमान् में उक्त समस्त भूमियां वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के समान आधे आधे हिस्से में ही कब्जे आधिपत्य में होकर समान हिस्से से उपयोग में ली जा रही है। फिर भी प्रतिवादी सख्या 01 राजस्व अधिकारीयों से सांठ गांठ कर उक्त मृतक सहखातेदारान् के हिस्से की समस्त भूमियां अकेला ही अपने नाम पर दर्ज कराने हेतु उतारू है। उक्त भूमियां वादीगण की ओर से समान आधे आधे हिस्से में दर्ज कराने के लिए प्रतिवादी संख्या 01 को आज से 10 दिन पुर्व कहां तो प्रतिवादी सख्या 01 इस बात् के लिए तैयार नही हुआ बल्कि मौका पाकर अकेला ही भूमियां हडपने की धमकिया देने लगा जिससे वादीगण का वाद हेतुक आज से 10 दिन पूर्व उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। प्रतिवादी संख्या 02 भूमिधारक होने से उन्हें उक्त वाद में सम्भावित आपत्ति के निराकरण हेतु पक्षकार के रूप में जोडा गया है अन्य कोई अनुतोष उनके विरूद्ध क्षैत्र रेलमगरा में स्थित होने से उक्त वाद का श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार न्यायालय आपको अभिप्रेत है। अतः प्रार्थना है कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी सख्या 01 स्वीकार फरमाया जाकर निम्न आशय की डिक्री जारी फरमाई जावे कि ग्राम कानाखेडा पटवार क्षैत्र कुरज तहसील रेलमगरा में स्थित कृषि आराजी सं. 5119 रकबा 0–03 बिस्वा , 5120 रकबा 0–03 बिस्वा , एवं 5121 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 10 बिघा 04 बिस्वा में अंकित मृतक सहखातेदारान् प्रताप , भज्जा , माणा, पिता भोला एवं नारायण पिता टेका भील का नाम विलोपित फरमाते हुऐ उनके हिस्से की भूमियां घोषणात्मक डिक्री के जरिये वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर समान हिस्से से दर्ज फरमाई जावें। तद्नुसार घोषणात्मक डिक्री प्रचलित फरमाई जावें। वाद व्यय , वकील मेहनताना वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 से दिलाया जावें। अन्य कोई समूचित सहायता जो भी वादीगण को न्यायालय दिलाया जाना उचित समझे प्रदान कराई जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 की ओर से स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत किया गया तथा प्रतिवादीगण संख्या 02 पैरोकार सरकार ने कोई जवाब प्रस्तुत नही करना चाहा है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पीडब्ल्यू–01 शपथ पत्र एवं दस्तोवजी साक्ष्य जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–01 एवं नक्शा ट्रेस प्रदर्श–02 के प्रस्तुत किये गये।

पक्षकारान को सुना गया एवं पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर जाहिर आया कि वादीगण द्वारा वादपत्र के प्रताप, भज्जा, माणा पिता भोला व नारायण पिता टेका की मृत्यु होना जाहिर किया गया है किन्तु पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज या अंकन नही किया गया है कि उक्त मृतकों की मृत्यु कब हुई तथा इनके पुत्र, पुत्री व पत्नि जिवित है या नही है ? साथ ही वादपत्र में अंकित सजरे का अवलोकन करने पर वादीगण के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 01 दोनों सगे भाई होकर वादीगण के पिता वर्तमान में जिवित है अथवा नही? ऐसा कोई दस्तोवज प्रस्तुत नही किया गया है और ना ही वादपत्र में कोई अंकन है। सजरे अनुसार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रताप, भज्जा, माणा पिता भोला व नारायण पिता टेका की मृत्यु लाऔलाद होने के बाद वादीगण के पिता मोहनलाल व रामा प्रथम अनुसूची के वारिस है। ऐसी स्थिति में मोहनलाल की मृत्यु के पश्चात् ही वादीगण घोषणा कराने के अधिकारी है। जिससे वादीगण अपना वादपत्र सिद्व करने में असफल रहे है।

अतः वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य से अपना वादपत्र सिद्व करने में असफल रहने से वादीगण का वाद अस्वीकार किया जाता है। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 09/03/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा